

Form No III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलैक्टर बागोड़ा जिला-जालौर (राज.)

नामी: फौजेरां व. हियात  
मुसलमान मीरगंज

बनाम

इडेखां व. हियात मुसलमान  
निवासी मीरगंज

किरम मुकदमा अन्तर्गत धारा 53, 188 श.श.प्र. मुकदमा नम्बर 28 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
24/6/18	<p>प्रार्थीगण/सायल/अपीलान्त/वादीगण ने एक वाद/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 श.श.प्र. में बाबत <del>विवाह काल</del> <del>वादी</del> <del>स्थायी नि</del> पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों/ गैर सायल/ रेस्पोंडेन्ट/ प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 7/9/18 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>7/9/18</p> <p>कडील वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया की हमारे आपस में राजीनामा हो चुका है एवं मैं उम्त पत्रावली आगे चलाना नहीं चाहता हूँ, अतः उम्त दसा जरिये नोटिस खारीज फरमावे।</p> <p>हमारे दावा का अक्लोजर किया एवं कडील वादी के निवेदन के आधार पर उम्त दावा जरिये नोटिस खारीज किया जाता है। पत्रावली केवल उम्त होकर नम्बर से सम्बन्धी कदा-कदा है।</p>	<p>Not answers</p> <p><i>(Signature)</i></p>